"विधायक आदर्श ग्राम योजना"
महत्वपूर्ण

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) आ.क्र. 1421 दिनांक 11-05-15 सहपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–25 / 2015 / 34–2 / 1875 रायपुर, दिनांक 7/5/15

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय :– **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग "विधायक आदर्श ग्राम योजना" में किये जाने बाबत्।**

संदर्भ :– संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का पत्र क्र. एफ 08–21 / 2009 / 23, दिनांक 24.04.2015

–00–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में " विधायक आदर्श ग्राम योजना" के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना में मान. विधायक गणों द्वारा प्रदेश की 90 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है।

2/ चयनित आदर्श ग्राम में कार्यो हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।

3/ इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.3 (क) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 1.4 स्थापित किया जाता है :–

"1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।"

अतः उक्त कंडिका पर आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करे।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit

F/LETTERS (2015-16) All

HOS/EE/SF-T/P/CE(M)/E-in-C

425

Circular file

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002.

क्रमांक एफ 08–21 / 2009 / 23 नया रायपुर, दिनांक 24–04–2015.

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

क्रमांक 953 / ... / लो. स्वा. या.
दिनांक 29/4/15

विषयः– **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग "विधायक आदर्श ग्राम योजना" में किये जाने बाबत्।**

---00---

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में **"विधायक आदर्श ग्राम योजना"** के कियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना में मान. विधायकगणों द्वारा प्रदेश की 90 ग्राम पंचायतों को **आदर्श ग्राम** के रूप में चयन किया गया है।

2/ चयनित **आदर्श ग्राम** में कार्यों हेतु **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना** की राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।

3/ इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.3 (क) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 1.4 स्थापित किया जाता है :–

"1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।"

क्रमांक 51
अ.मु.स.-आजा/अजा वि.एवं लो.स्वा.या.विभाग
दिनांक 25 APR 2015

25 APR 2015
OSD(PHE)

AR
EH(को प्रेषित करें)
20/4/15

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

24.04.15
(आलोक अवस्थी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

Shri Sahu

पृष्ठा.क्रमांक एफ 08—21/2009/23 नया रायपुर, दिनांक 25—04—2015.

प्रतिलिपिः—

1. मान.मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर,
8. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. समस्त संभागायुक्त—रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग (छ.ग.),
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
11. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, छत्तीसगढ़,

    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. गार्ड फाईल।

25.04.15

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग